

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) खागा, फतेहपुर।

मूल वाद संख्या-70/2017

महन्त मोहनदास बनाम शिवप्रताप सिंह

दिनांक-20.08.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी अनुपस्थित तथा प्रतिवादी उपस्थित।
पत्रावली लंच के उपरांत पुनः पेश हो।

सिविल जज (जू० डि०)

खागा, फतेहपुर।

पत्रावली लंच के उपरांत पुनः पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर वादी अनुपस्थित तथा प्रतिवादी उपस्थित है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वादी विगत कई तिथियों से अनुपस्थित है। उनकी ओर से न तो विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है और न ही कोई स्थगन प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में वादी का वाद वादी की अनुपस्थिति में अंतर्गत आदेश 9 नियम 8 जा० दी० में खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

वादी का वाद, मूल वाद संख्या-70/2017 वादी की अनुपस्थिति में अंतर्गत आदेश 9 नियम 8 जा० दी० खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 20.08.2026

सिविल जज (जू० डि०)

खागा, फतेहपुर।